

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-17/2020-1313 व०प०, राँची, दिनांक-13/04/2021
प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

विषय :- सोनुवा-पनसुवा-लाढ़ाई-गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 18.28 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-844 दिनांक-12.10.2020 एवं पत्रांक-427 दिनांक-18.03.2021 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सारण्डा वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-कसियापेचा में चिन्हित 36.64 हे० गैर वनभूमि (किस्म जंगल-झाड़ी) वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हस्तान्तरित किया जायेगा।
- (iv) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध सरायकेला वन प्रमंडल अंतर्गत ग्राम-सीतु में चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि पर Handbook of Guidelines की कंडिका-2.4 (v) एवं (vi) के आलोक में 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाने हेतु राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (v) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना खर्च पर वन्यप्राणी प्रबंधन योजना वन विभाग के मार्गदर्शन में तैयार किया जायेगा तथा इसके क्रियान्वयन की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- (vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-17/2020-1313 व०प०, राँची, दिनांक-13/04/2021

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि-17/2020- 1313 व०प०, राँची, दिनांक- 13/04/2021
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/4/2021

ज्ञापांक-वन भूमि-17/2020- 1313 व०प०, राँची, दिनांक- 13/04/2021
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मनोहरपुर,
पश्चिमी सिंहभूम-833104 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/4/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 18.28 ha of Forest Land for Widening & Strengthening of Sonua-Pansua-Lodhai-Gudari Road.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)P

Recommended for diversion of 18.28 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no. 1313 dated-13/04/2021

Signature:

13/4/2021

Name & Designation: Sunil Kumar
(O.S.D)
Forest, Environment & Climate
Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Date:

Place: Ranchi

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची
(Official Seal)